>

Title: Need to prevent sexual exploitation of children in the country.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक अति गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बाल यौन शोषण की देश में बढ़ती घटनाओं ने हमारी सामाजिक व्यवस्था के बिखरते ताना बाना का गंभीर प्रश्न समूचे समाज के सामने खड़ा कर दिया है। एक अनुमान के आधार पर 18 साल से कम उम्र की 15 करोड़ लड़कियां व 7.3 करोड़ लडके कभी न कभी यौन शोषण का शिकार हो चुके हैं। बच्चों से यौन शोषण की घटनाओं में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि देखने में आ रही है। जब देश की राजधानी दिल्ली में ही काफी घटनाएं घट रही हैं, तब देश के दूसरे हिस्सों की तो बात ही अलग है। अभी पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के एक स्थान की तीन नाबालिग सगी बहनों का अपहरण करके उनके साथ जो बलात्कार किया गया, इस घटना ने समूचे जनमानस को अंदर तक हिला दिया। वहशीपन बढ़ता जा रहा है। आज का समाचार पत्र पढ़ा तो उसमें दिल्ली की ये घटनाएं आयीं, एक पुलिस ऑफिसर के बेटे के साथ यौन शोषण किया गया, 11 वर्ष की छात्रा के साथ मकान मालिक के बेटे द्वारा यौन शोषण किया गया, 13 वर्षीय छात्रा का अपहरण करके कार में छेड़छाड़ की गयी, 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास में 5 साल की कैद, 9 साल की सगी बेटी के साथ पिता द्वारा बलात्कार। यानी जब रक्षक ही भक्षक बन जायेगा तो हमारे समाज की क्या व्यवस्था बनेगी? जबकि हमारे यहां बेटी को देवी मानकर पूजा जाता है, गंगा, गीता, गायत्री, संध्या, सीता, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में हमारे यहां बेटियों को पूजा जाता है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यौन शोषण रोकने के लिए "प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल आफेंस एक्ट 2012" की धारा 28 के तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण के मामलों में सुनवाई के लिए हर जिले में विशेष अदालतें और धारा 32 के अंतर्गत विशेष पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त करवाने की शीघ्र कार्यवाही की जाये।

MR. CHAIRMAN: Now the List is over. I request other Members to briefly make their submission.